included in the Eighth Schedule, Ho is second-most widely spoken tribal language in Odisha. Mundari is spoken by more than six lakh people belonging to the Munda and Mundari tribes of Odisha. Bhumij is spoken by about three lakh people.

The Odisha Government has initiated several steps for giving recognition to the tribal languages. However, there are some tribal languages in Odisha which highly deserve to be included in the Eighth Schedule of the Constitution. I strongly demand that the Union Government should take necessary steps for including Ho, Mundari and Bhumij languages in Eighth Schedule of the Indian Constitution.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need to remove Sanganer hand block printing units from Red category list of Central Pollution Control Board

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) : सभापति महोदय, जयपुर, राजस्थान में सांगानेरी हाथ-ठप्पा छपाई हस्तकला क़रीब 500 वर्ष पुराना लघु उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में इस उद्योग से निर्मित वस्त्रों की स्वदेशी पूर्ति के साथ विदेशों में भी निर्यात किया जाने लगा है, जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होने लगी है। सांगानेरी हाथ-ठप्पा छपाई कार्य कुटीर उद्योग की तरह घरों में ही किया जाता है। इस उद्योग में छपाई हेतु जो रंग काम में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक और वानस्पतिक होते है जैसे हरडा, दावडा और आल की लकड़ी का रंग। वर्ष 1944 में पंजीकृत कैलिको प्रिन्टर्स कोऑपरेटिव सोसायटी, सांगानेर द्वारा हाथ-ठप्पा छपाई वस्त्रों के उत्पाद निर्माण से लेकर विक्रय तक की व्यवस्था की जाती है। सोसायटी स्वयं कच्चा माल देकर अपना उत्पाद बनवाती है। सोसायटी के निर्मित उत्पाद जैसे बैडशीट, पिलो कवर, साड़ी, सूट, इत्यादि हैं। इस उद्योग में बहुत कम मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है तथा उपयोग उपरांत निकलने वाला पानी नगण्य प्रदूषित होता है। इस उद्योग को भारत सरकार से GI प्रमाणपत्र भी प्राप्त है। वर्तमान में सरकार द्वारा इस उद्योग को प्रदूषण की रेड श्रेणी में रखा है।

मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि इस हस्तकला उद्योग को सरकारी सुविधा एवं संरक्षण के बजाय आये दिन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल द्वारा बिजली कटाई के नोटिस दिए जा रहे हैं। सांगानेर में एक अन्य इसी प्रकृति का हाथ कागज़ उद्योग है, जिसे ऑरेंज प्रदूषण श्रेणी में डाला हुआ है।

अतः सांगानेर के हाथ-ठप्पा छपाई उद्योग को प्रदूषण की रेड श्रेणी से हटाकर ऑरेंज श्रेणी में करने का निवेदन है।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Need for use of All India Institute of Medical Science only as referral Hospital

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय, एम्स एक्ट, 1956 स्वीकृत कराते समय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि मेरा सपना है कि शिक्षा के उच्च स्तर को बनाने तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए एम्स की स्थापना की जाए। वर्ष 2003 में 'प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना' के अंतर्गत कहा गया कि विश्वसनीय एवं वहनीय टर्शरी केयर की स्वास्थ्य सेवाओं में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिए पूरे देश में एम्स की स्थापना ज़रूरी है। सर, अभी तक देश में कुल बीस एम्स स्थापित हो चुके हैं। यह एम्स प्राथमिक सेवा देने वाले पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल तथा द्वितीयक सेवा देने वाले मेडिकल कॉलेजेज़ से मुकाबला करने के लिए नहीं, बल्कि टर्शरी मेडिकल केयर, स्नातकोत्तर शिक्षा तथा चिकित्सा शोध के लिए बनाए गए थे, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज एम्स में सर्दी, जुकाम, निमोनिया, डायरिया, उल्टी, पेट और सिर में दर्द के मरीज़ों की भीड़ लगी पड़ी है। एक ओर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है और दूसरी ओर जो हैं, वे भी हल्की-फुल्की बीमारियों की भीड़ में दबे हुए हैं। ऐसे में न तो उनके अंदर उच्च शैक्षणिक अनुभव, पढ़ने, पढ़ाने की भूख रह जाएगी और न ही उच्च चिकित्सा शोध कार्यों में रुचि ही रहेगी। यह अत्यंत आवश्यक है कि पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों से मरीजों का अनावश्यक रूप से भाग कर एम्स पहुंचना रोका जाए और एम्स के चिकित्सकों को क्लिष्ट, गंभीर और अनिदानित मरीजों के इलाज तथा चिकित्सा शोध कार्यों के लिए आरक्षित किया जाए। एम्स को सामान्य मरीजों से भरकर 'फुटफॉल' के आंकड़े दिखाने की जगह इसे सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बनाया जाए।

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: Shri K.C. Venugopal; not present. Shri Sanjay Singh; not present. Shrimati Mamata Mohanta; not present. Dr. L. Hanumanthaiah.